रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 256

No. 284] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941 [N.C.T.D. No. 256

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

फा. सं. 152/डब्लू.एफ.डी./सी.ओ.टी./2018-19/9008-16.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, रिठाला, फेज–01 नई दिल्ली के पुनर्वास और उन्नयन हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.3 **हेक्टेयर** क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या		अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण किए जाने वाले	योग	
(1)	(2)		(3)
वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, रिठाला, फेज – 01 नई दिल्ली के पुनर्वास और उन्नयन हेतु।	88	88	880 उपभोगी संस्था द्वारा ।
योग	**88**	**88**	**880**

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

1. आवेदक दिल्ली जल बोर्ड को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 50,16,000/- रूपये (पचास लाख सोलह हजार रूपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	880 देशी प्रजातियों का 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण 91 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बवाना दिल्ली पर उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।	880	50,16,000 /-	उप–वन संरक्षक (पश्चिमी) / वन अधिकारी
(ख)	साइट पर लगे हुए **88** देशी वृक्षो का प्रत्यारोपण उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तावित 835 मीटर की दूरी **पर** एस.टी.पी.के भीतर परियोजना स्थल के पास किया जाएगा। प्रत्यारोपण उपरान्त इन प्रत्यारोपित वृक्षो के रखरखाव की ज़िम्मेदारी भी उपभोगी संस्था की होगी ।			

2. जातियों के 880 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण दिल्ली जल बोर्ड उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा और उनका सात वर्षो तक रखरखाव तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपरोक्त 1 (क) & (ख) के अनुसार निगरानी की जाएगी ।
3. 1:10 स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले पौधे 88 वृक्षो को प्रत्यारोपण किए जाने के बदले मे प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण साइट विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के बाद किया जाएगा और उसका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।
4. जिस भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है, उसका उपयोग संबंधित वृक्ष अधिकारी की स्वीकृति के बिना अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
5. दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची प्रस्तुत की जाएगी।
6. उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।
7. (क) अनुमति जारी होने के तुरंत बाद पेड़ों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाना चाहिए और इसे 3 महीने के अंतराल में पूरा किया जाना चाहिए, जिसके बाद एक पूर्ण रिपोर्ट वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।

   (ख) वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु एक प्रस्तावित नीति दिल्ली सरकार में विचाराधीन है, इसलिए भविष्य की अनुमति में नीति के कार्यान्वयन के कारण प्रभावी होने वाले किसी भी बदलाव को संभावित प्रभाव के साथ सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा।

   (ग) 88 वृक्षो को हटाने/ प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर दी जाएगी और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना अनुमति दी जाएगी, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है।
8. वृक्षों को प्रत्यारोपण किए जाने से पहले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।
9. वृक्षों **के** सम्पूर्ण प्रगति विवरण के साथ संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट उपभोगी संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
10. वृक्षों को प्रत्यारोपण किए जाने **के** स्थल से पूर्व सभी वृक्षों की परिवहन की अनुमति वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से प्राप्त करनी होगी।
11. वृक्षों को हटाये/प्रत्यारोपण किए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ी की नीलामी भू-स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी। वृक्षों की ऊपरी शाखांए (लोप्स एंड टॉप्स) की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाए । इसकी सूचना उप–वन संरक्षक (पश्चिमी)/ वृक्ष अधिकारी को दी जानी चाहिए ।
12. वृक्षो को हटाये प्रत्यारोपण किए जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकडियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd October, 2019

F. No. 152/ WFD/COT/2018-19/ 9008-16.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 2.3 ha. as detailed below for rehabilitation and up-gradation of Rithala Phase-I, Waste Treatment Plant, Rithala, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees to be		Compensatory Plantation (Number of trees)
	Transplantation	Total	
(1)	(2)		(3)
Rehabilitation and up-gradation of Rithala Phase-I, Waste Treatment Plant, Rithala, New Delhi.	88	88	880 by User Agency.
Total	88	88	

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:—

1. The applicant i.e Delhi Jal Board shall make an advance deposit of an amount of Rs. 50,16,000 /- (Rupees Fifty Lakh Sixteen Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S. No.	Location of Compensatory plantation	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation of 880 tree saplings of native species will be planted by User Agency at 91 MLD Water Treatment Plant, Bawana Delhi.	880	50,16,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 88 no. of native species trees which are standing on site shall be done by User Agency at the site proposed by User Agency i.e at a distance of 835 mtr. near the project site within STP. Post transplantation care of the trees shall be ensured by the project proponent.			

2. 100% Compensatory Plantation of 880 saplings of native species shall be raised and maintained by Delhi Jal Board for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.
3. 1:10 plants of native species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation on non-forest land in lieu of transplantation of 88 no. of trees. The plantation shall be done by site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out there after by User agency with their own funds.
4. The land, over which compensatory plantation is raised, shall not be utilized for other purpose without the approval of Tree Officer concerned.
5. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by user agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
6. User agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.
7. (a) Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and shall be completed not later than 3 months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point).

(b) A draft policy on transplantation of trees is under active consideration by State Government of Delhi. User Agency shall follow of approval policy on transplantation of trees to the extent approved by Competent Authority with prospective effect.

(c) Permission for transplantation of all 88 tress would be granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

8. Before the transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the user agency.

9. Progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.

10. Before transplantation from site of removal of trees, permission for transportation of the tree/all trees shall be obtained from Tree Officer (West).

11. The timber obtained from removal/ transplantation of trees shall be auctioned by the user agency. The proceeds shall be deposited as revenue to the Government account. The Lops and tops of the trees shall be sent/supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to Forest Department.

12. Before shifting of the timber if any**,** from site of removal/transplantation of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West).

By Order and in the Name of the Government
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.25 11:52:37 +05'30'